6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई। वकलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हुकमपुरा की सरहद में भूमि ख.नं. 108 रकबा 2 बिस्वा (चाह) ख.नं. 107 रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख.नं. 109 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा तथा ख०नं० 110 रकबा 2 बिस्वा आबादी स्थित है। उक्त पुराने ख.नं. के नये ख.नं. 162 रकबा 0.03 है तथा ख.नं. 163 रकबा 4.07 है. बने तथा उक्त खसरा नम्बरान के वर्तमान में नये खसरा नं. 181 व 182 बने है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार संवत् 2012 से 2015 की जमाबन्दी में मंदिर लक्ष्मीनाथ जी वाले गुदागोड़जी के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्री मंदिर लक्ष्मीनाथ जी के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत वादपत्र के जरिये वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहते है। मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है प्रस्तुत वादपत्र के जरिये वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद ल. अनुसार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.18 को कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner